



५६

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

/ 2015 निगरानी

प्रकरण क्रमांक

क्रमांक २०१० क्रमांक
२९-७-१५

29-7-15
न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R.Singh
आर.एस.सिंह
८७-३-१५ पृ३

संजम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम
खान पुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

.....आवेदक

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र आधार सिंह
2. चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्रीलाल
3. विजय पाल सिंह पुत्र श्री लाल निवासी
ग्राम खानपुर तहसील चंदेरी जिला अशोक
नगर
4. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील चंदेरी द्वारा प्रकरण क्रमांक
28/अ-12/ 2014-15 सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 04.07.2015
पंचनामा रसीद दिनांक 19.06.2015 के विरुद्ध निगरानी।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम खानपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 207/ 1 /
2 ख रकवा 0.418 ^{है} का सीमांकन कराये जाने बाबत तहसीलदार चंदेरी के
समक्ष प्रस्तुत किया । तहसीलदार चंदेरी द्वारा कार्यालय कलेक्टर भू
अभिलेख जिला अशोक नगर को दिनांक 30.04.2014 को पत्र लिखा ।
संजम सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी खानपुर की भूमि सर्वे क्रमांक
207/1/ख का ई.टी.एस. मशीन से सीमांकन किया जाना है।
कलेक्टर भू अभिलेख जिला अशोक नगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 472/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2396-दो/15

जिला - अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">✓ सक्ष्य</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी</u></p> 	